PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Bhaskar, Faridabad
Friday 16th October 2015, Page: 6
Width: 8.34 cms, Height: 11.60 cms, a4, Ref: pmin.2015-10-16.51.47

दवाओं की बिक्री पर कानून काफी नहीं, करेंगे सुधार: गिरीश बापट

मुंबई| बिना डाक्टर के पर्चे के दवाओं की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान काफी नहीं हैं। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि रोगियों के साथ धोखाधड़ी न हो और कोई भी दवा डाक्टर के पर्चे के बिना न बेची जाए। यह कहना है महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट का। उन्होंने यहां गुरुवार को कहा कि दवा विक्रेताओं की एक दिन की हड़ताल सरकार के खिलाफ नहीं थी। इसलिए उनके खिलाफ एसेंशियल सर्विसेज मैंटेनेंस एक्ट (एस्मा) के तहत कार्रवाई पर विचार नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि दवाओं की 'अवैध' ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को देशभर के साढ़े आठ लाख दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखी थीं।

उन्होंने यह हड़ताल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर की थी। बापट ने कहा कि दवा विक्रेताओं को दवाओं की ऑनलाइन बिक्री प्रणाली की खामियों और दवाओं के दुरुपयोग पर आपत्ति है।

दो-तीन महीने में रिपोर्ट

बापट ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर डॉ. हर्षदीप कांम्बले की अध्यक्षता में केंद्र ने एक समिति बनाई है। यह समिति केमिस्ट और ड्रगिस्ट की शिकायतों पर विचार करेगी। यह समिति दो से तीन माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

Laws about medicines' sales inadequate! Girish Bapat
Regulation